इसलिए देश में परिवहन लागत का प्रश्न ही नहीं उठता । राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, टेट्रापैक, एच० डी० पी० इ० तथा टिनपैक में धारा की बिक्री कर रहा है। कोई नई पैकिंग शुरू नहीं की गई है।

स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड

1862. **श्री राम जेठमलानी :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड" देश में लोहे का उत्पादन करता है ;

(ख) यदि हां, तो इस संस्थान द्वारा संचालित एककों को किन-किन स्थानों पर स्थापित किया गया है ;

(ग) इन एककों की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है और क्या विगत तीन वर्षों के दौरान इन एककों में अपनी क्षमता के अनरूप उत्पादन हुआ है ;

(घ) यदि नहीं, तो 1989-90 और 1990-91 के वर्षों के दौरान इन एककों की प्रतिष्ठापित क्षमता की तुलना में उत्पादन कितना कम हुआ और लागत मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री संतोष मोहन देव) : स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड स्पंज लोहे का उत्पादन करता है ।

(ख) आन्ध्र प्रदेश के खम्मम जिले में पलोन्चा में कम्पनी का एक संयंत्र है।

(ग) संयंत्र का वार्षिक निर्धारित क्षमता 60,000 टन है । पिछले तीन वर्षों का वास्तविक उत्पादन निम्नलिखित है :—

1988-89	51,329 टन
1989-90	52,930 टन
1990-91	47,600 टन

(घ) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान संयंत्र की निर्धारित क्षमता की तुलना में वास्तविक उत्पादन में आई गिरावट निम्नानुसार रही :—

1989-90	7,070 टन
1990-91	12,400 टन

निर्धारित क्षमता तक उत्पादन न होने के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि की अनुमानित प्रतिशतता निम्नानुसार है ;

1989-90	4.9%
1990-91	9.2%

कृषि उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने में बाधाएं

1863. **श्री रणजीत सिंह :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कृषि उत्पादन के लिये निर्धारित किये गये लक्ष्य को हासिल करने के मार्ग में कुछ बाधाएं वर्तमान में भी दिखाई दे रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन बाधाओं को दूर करने के लिये सरकार कोई प्रयास कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

प्रतिबंधित नाशी कीटनाशकों का इस्तेमाल

1864. **श्री रणजीत सिंह :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 अगस्त, 1991 के "ट्रिब्यून" में "डार्क साइड आफ पैस्टीसाइड्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अन्य देशों में प्रतिबंधित नाशी कीटनाशकों का हमारे देश में खुले आम इस्तेमाल हो रहा है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पंजाब हो में ऐसे कई घटिया किस्म के तथा हानिकारक नाशी कीटनाशकों का इस्तेमाल हो रहा है जो सरकारी प्रयोगशालाओं के परीक्षा मानदण्डों के अनुरूप नहीं हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या कारण है कि सरकार ने इन नाशी कीटनाशकों के इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) कुछ कृमिनाशी दवाइयां जो अन्य देशों में प्रतिबन्धित हैं, कृमिनाशी दवा अधिनियम, 1968 के अधीन पंजीकृत होने के बाद हमारे देश में इस्तेमाल की जा रही है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। कृमिनाशी दवा अधिनियम और कृमिनाशी दवा नियमों में बाजार में बिकने वाली कृमिनाशी दवाओं की जांच और परीक्षण के लिये कड़े प्रावधान हैं और पंजाब में उनका पालन किया जा रहा है। जहां तक हानिकारक किस्म की कृमिनाशी दवाओं का संबंध है, इस पहलू की जांच कृमिनाशी दवा अधिनियम के अन्तर्गत गठित पंजीकरण समिति द्वारा की जाती है और यह समिति केवल यही कृमिनाशी दवाइयां अनुमोदित करती हैं, जो अनुष्यों तथा पर्यावरण के लिये निरापद हों।

"लोक धारा" तेल की बिक्री

1865. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आलिया :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड 'लोक धारा" नामक खाद्य तेल के नये ब्राण्ड का विपणन का विचार रखता है और यदि हां, तो इस तेल में मिश्रण का अनुपात क्या है और इसका अन्तरिम मूल्य क्या है ; और

(ख) सरकार ने बाजार में 16 किलोग्राम के टिनों में अपमिश्रित खाद्य तेल की बिक्री को रोकने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां। अनुमति देने से संबंधित अधिसूचना के प्राप्त हो जाने तथा भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को, आयातित तेल का आवंटन हो जाने के बाद निर्धारित किया जा सकता है।

(ख) भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य सरकारों तथा संघ राज्यों के संबंधित प्राधिकारियों से, बाजार में बेचे जा रहे खाद्य तेलों की गुणवत्ता पर निगरानी रखने के लिये आग्रह किया है।